

उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल

फोन न०- 0135-2608762

ई० मेल- pharmacycounciluk@gmail.com

डाक द्वारा पंजीकरण के नवीनीकरण से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

वर्तमान हालात कोरोना वायरस (Covid-19) को मद्देनजर रखते हुए, उत्तराखण्ड फार्मसी काउन्सिल में पंजीकृत उन फार्मसिस्टों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने अभी तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया है, अपने पंजीकरण का नवीनीकरण डाक के माध्यम से प्रेषित कर करवा सकते हैं। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए निम्न दस्तावेज फार्मसी काउन्सिल कार्यालय के पते पर प्रेषित करें।

1. आवेदन फॉर्म **K** काउन्सिल की वेबसाइट www.ukpcouncil.org से डाउनलोड कर शुल्क **रु० 100** / ऑनलाइन जमा कर शुल्क की छायाप्रति संलग्न करें,
2. मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र (**Original registration Certificate**) तथा स्व: प्रमाणित छायाप्रति (दोनों तरफ से),
3. रिनुवल कार्ड मूल(**original**), कार्ड न होने पर **500/रु०** अतिरिक्त शुल्क ऑनलाइन जमा कर शुल्क की छायाप्रति संलग्न करें,
4. आधार कार्ड की स्व: प्रमाणित छायाप्रति,
5. डिप्लोमा अथवा डिग्री की स्व: प्रमाणित छायाप्रति,
6. ए४- साइज का स्व: पता लिखा जवाबी लिफाफा **रु० 42** / का डाक टिकट लगा हुआ,
7. दो रंगीन पासपोर्ट फोटो जो वर्तमान में खींची गयी हो,
8. फार्मसी व्यवसाय का प्रमाण (यदि फार्मसिस्ट किसी फार्मसी व्यवसाय में हो अन्यथा नहीं),
9. पंजीकरण का नवीनीकरण शुल्क वर्षवार निम्न तरह होगा। शुल्क ऑनलाइन खाता सं०- SBI Collect- **36821630863 (Uttarakhand Pharmacy Council), IFSC-SBIN0007893** पर जमा करें, तथा शुल्क की छायाप्रति भी संलग्न करें।

Renewal Fee

1. रिनुवल फीस-रु० 500 (पांच साल के लिए)
2. दस वर्ष या उससे अधिक अवधि तक रिनुवल न कराने की परिस्थिति में **रु 1000 / Restoration fee, Rs. 100 per year** के हिसाब से पिछले वर्षों की **due fee** एवं -रु० 500 / रिनुवल फीस (पांच साल के लिए)

Example :-

YEAR 2004

15 वर्षों की due fee (पिछली)	-	1500
Restoration fee	-	1000
5 वर्षों के लिए रिनुवल फीस	-	500
कुल	-	3000

3. पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि तक रिनुवल न कराने की परिस्थिति में रू 500/ Restoration fee, Rs. 100 per year के हिसाब से पिछले वर्षों की due fee एवं -रू0 500/ रिनुवल फीस (पांच साल के लिए)

Example :-

YEAR 2010

09 वर्षों की due fee (पिछली)	—	900
Restoration fee	-	500
5 वर्षों के लिए रिनुवल फीस	—	500
कुल	—	1900

4. 1, 2, 3 एवं 4 वर्ष तक रिनुवल न कराने की परिस्थिति में Rs. 100 per year के हिसाब से पिछले वर्षों की due fee एवं -रू0 500/ रिनुवल फीस (पांच साल के लिए)

Example :-

YEAR 2018

01 वर्षों की due fee (पिछली)	—	100
5 वर्षों के लिए रिनुवल फीस	—	500
कुल	—	600

- नोट—
1. खाते में नकद जमा धनराशि मान्य नहीं होगी।
 2. दस्तावेज पूर्ण न होने की दशा में यदि पंजीकरण के नवीनीकरण में विलम्ब होता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फार्मसिस्ट की होगी।
 3. पंजीकरण नवीनीकरण के दस्तावेज डाक के माध्यम से प्रेषित करने के उपरान्त कम से कम 3 माह तक काउन्सिल कार्यालय में पंजीकरण नवीनीकरण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने हेतु अनावश्यक फोन न करें।

(एम0एल0जोशी)
रजिस्ट्रार